भवन निर्माण विभाग

.....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–8414 दिनांक–30.08.2016 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–06.09.2016 में मद संख्या–04 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

4.	भवन निर्माण विभाग में समायोजित अभियंत्रण कोषांग, शिक्षा विभाग के 06 (छः) तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) की समायोजन के आधार पर नियमित नियुक्ति तथा पूर्व की तदर्थ सेवा अवधि की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।.	4. स्वीकृत।

6.9.16

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

7/9/16

7.9.16

पार पृष्ठ 44/रि० पर दिनांक 06.09.2016 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही का अवतरण सादर अवलोकनीय है।

मद संख्या-04 के रूप में शामिल भवन निर्माण विभाग में समायोजित अभियंत्रण कोषांग, सिंचाई विभाग के 06 (छः) तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) की नियमित नियुक्ति हेतु सूची की तदर्थ सेवा अवधि की घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4688/91
08/09/16

तदालोक में अधिसूचना प्रारूप की संलग्न प्रति पत्राचार भाग पर अनुमोदनार्थ उपस्थापित है। कृपया प्रधान सचिव के समक्ष पंचिका प्रस्तुत की जा सकती है।

08/09/16
प्रo सचिव/ संयुक्त सचिव,

मंत्रिपरिषद की बैठक दि० पारित संकल्प के आलोक में दि० अधिसूचना संलग्न कृपया अनुमोदित करना चाहेंगे

9.9.16
उमेश कुमार

प्रधान सचिव

10.9.16

12.9.16

श्री उमानन्दन जी
12.9.2016

I/S
12/09/16

अधि० संख्या - 8943. (M). दिनांक. 12.09.2016

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0–भवन/स्था0–01–गु0–408/2014.....5943.....पटना, दिनांक 12.9.16

भवन निर्माण विभाग में समायोजित अभियंत्रण कोषांग, शिक्षा विभाग के निम्नलिखित छः (06) डिग्रीधारी कनीय अभियंता को पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0–6231 (एस), दिनांक–29.10.1988 द्वारा अभियंत्रण स्नातक अथवा ए0एम0आई0ई0 कोटा के रिक्त पदों के विरुद्ध तदर्थ रूप से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्त किया गया था:–

क्र0 सं0	नाम	जन्म तिथि	सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ नियुक्ति की तिथि	वर्त्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5
1.	श्री अमरनाथ मिश्र	29.09.1958	29.10.1988	13.02.2014 को निधन।
2.	श्री अवधेश चन्द्र झा	07.01.1958	29.10.1988	योजना एवं विकास विभाग में प्रतिनियुक्त।
3.	श्री विपिन कुमार सिन्हा	17.06.1958	29.10.1988	भवन प्रमंडल, बाँका।
4.	श्री विजय कुमार सिन्हा	11.11.1956	29.10.1988	भवन प्रमंडल, अरवल।
5.	श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह	02.01.1955	29.10.1988	31.01.2015 को सेवा निवृत।
6.	श्री अनिल कुमार	23.02.1958	29.10.1988	भवन प्रमंडल, अरवल।

2. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–06.09.2016 की बैठक में (मद संख्या–04) लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त तदर्थ सहायक अभियंताओं (मृत/सेवा निवृत्त सहित) को नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा संबंधी शर्त्त को शिथिल करते हुए सहायक अभियंता (असैनिक) वेतनमान–पी0बी0–2–9,300–34,800/– ग्रेड पे–5,400/– में निम्नांकित शर्त्तों के अधीन समायोजन के आधार पर नियमित नियुक्ति की जाती है:–

(i) मृत्त एवं सेवा निवृत्त हो चुके तदर्थ सहायक अभियंताओं को पेंशन एवं सेवान्त लाभ हेतु उनकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति की तिथि से समायोजन के आधार पर घटनोत्तर नियमित नियुक्ति की जाती है।

(ii) अन्य कार्यरत तदर्थ सहायक अभियंता को समायोजन के आधार पर नियमित नियुक्ति की जाती है।

(iii) पेंशन के प्रयोजनार्थ तथा उपर्जित छुट्टी के लिए बिहार पेंशन नियमावली एवं बिहार सेवा संहिता के अध्यधीन ही इनकी तदर्थ रूप से की गई सेवा की गणना की जाएगी।

(iv) तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की नियमित नियुक्ति के पूर्व तक सीधी भर्ती द्वारा नियमानुसार बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियंता के बाद ही इन तदर्थ सहायक अभियंताओं की वरीयता निर्धारित होगी। वरीयता के संबंध में अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा समायोजन की स्कीम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

(v) नियमित नियुक्ति के पश्चात् योगदान की तिथि से ही सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन हेतु नियमित सेवा की गणना की जाएगी।

(vi) समायोजन के आधार पर नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व का प्राप्त वेतन संरक्षणीय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.9.16

(उमेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

10/09/16

E:/Sanjay Kr. Alok /Old and New Work Folder/LETTERS UPTO 01-01-2016/GA/ZT.EST.doc

ज्ञापांकः– भवन/स्था0–01–मुक0–408/2014 8943 (अ) पटना, दिनांकः– 12.9.16

प्रतिलिपि– दो अतिरिक्त प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभा पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था0–01–मुक0–408/2014 8943 (अ) पटना, दिनांकः– 12-9-16

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय, गुलजारबाग, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12.9.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था0–01–मुक0–408/2014 8943 (अ) पटना, दिनांकः– 12-9-16

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/निदेशक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित राजपत्रित पदाधिकारी/प्रशाखा प्रदाधिकारी/संबंधित तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– भवन/स्था0–01–मुक0–408/2014 8943 (अ) पटना, दिनांकः– 12-9-16

प्रतिलिपि– डॉ0 अनिल कुमार उपाध्याय, स्थायी समुपदेशक सं0–2, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सी0डब्लु0जे0सी0 सं0–8909/2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

समादेशवाद संख्या–8909/2014 में पा[illegible] न्यायादेश के क्रम में दिनांक–29.04.2016 को अपराह्न 3:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्ष[illegible]जित बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–

1. श्री रवि मित्तल,
   प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री आमिर सुबहानी,
   प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री अमृत लाल मीणा,
   प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री पंकज कुमार,
   सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
5. श्री संजय कुमार,
   सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना।

विचाराधीन मामला भवन निर्माण विभाग के निम्नांकित छः (06) डिग्रीधारी कनीय अभियंताओं जिन्हें वर्ष 1988 में पथ निर्माण विभाग द्वारा तदर्थ रूप से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया है, के सेवा नियमितिकरण एवं अतिरिक्त लाभ की देयता से संबंधित हैः–

क्र0 सं0	नाम	जन्म तिथि	तदर्थ नियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री अमरनाथ मिश्र	29.09.1958	29.10.1988	13.02.2014 को निधन
2.	श्री अवधेश चन्द्र झा	07.01.1958	29.10.1988	–
3.	श्री विपिन कुमार सिन्हा	17.06.1958	29.10.1988	–
4.	श्री विजय कुमार सिन्हा	11.11.1956	29.10.1988	–
5.	श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह	02.01.1955	29.10.1988	31.01.2015 को से0नि0
6.	श्री अनिल कुमार	23.02.1958	29.10.1988	–

2. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेशवाद संख्या–8909/201[illegible] उपेन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य की सुनवाई के दौरान दिनांक–30.03.2016 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किया गया हैः–

'The Court now puts the responsibility upon the Chief Secretary, Government of Bihar [illegible] coordinate between various departments as well as to expedite the final decision in terms of recommendation and opinion received in favour of the petitioners because enough of shuffling of from one department to other has taken place in many years.

Matter to be listed for admission on 11th May, 2016.

The Chief Secretary is expected to keep the time-frame in mind while monitoring the issue.'

3. विचार के क्रम में यह अवगत कराया गया कि यह मामला पथ निर्माण विभाग [illegible] नियमित किये गए तदर्थ रूप से नियुक्त 77+5=82 सहायक अभियंताओं के समरूप एवं सदृश है।

4. तद्आलोक में यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण विभाग संवर्ग के उक्त छः तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं (मृत्त/सेवानिवृत्त सहित) को नियुक्ति हेतु बिहार लोक आयोग की अनुशंसा संबंधी शर्त्त को शिथिल करते हुये समायोजन के आधार पर नियमित नियुक्ति कार्रवाई निम्न शर्त्तों के अधीन किया जायः–

(i) मृत्त एवं सेवा निवृत्त हो चुके दो (02) तदर्थ सहायक अभियंताओं को पेंशन एवं से[illegible] लाभ हेतु उनकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति की तिथि से समायोजन के आधार पर घटनोत्तर नियमित नियुक्ति जायेगी।

(ii) अन्य चार (04) कार्यरत तदर्थ सहायक अभियंताओं की समायोजन के आधार पर नियमित नियुक्ति की जायेगी।

(iii) पेंशन के प्रयोजनार्थ तथा उपार्जित छुट्टी के लिए बिहार पेंशन नियमावली एवं बिहार सेवा संहिता के अध्यधीन ही इनकी तदर्थ रूप से की गई सेवा की गणना की जाएगी।

(iv) इन तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की नियमित नियुक्ति के पूर्व तक सीधी भर्त्ती द्वारा नियमानुसार बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में नियुक्त सहायक अभियंताओं के बाद ही इन तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की वरीयता निर्धारित होगी। वरीयता के संबंध में अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा समायोजन की स्कीम को न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे। इस संबंध में सभी तदर्थ सहायक अभियन्ता एक undertaking देंगे ।

(v) नियमित नियुक्ति के पश्चात योगदान की तिथि से हीं सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन हेतु नियमित सेवा की गणना की जाएगी ।

5.5.16

प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।